

फेक न्यूज और दुष्प्रचार: सोशल मीडिया पर 'फेक न्यूज' और 'इन्फोडेमिक' (Infodemic) के समाज पर पड़ने वाले प्रभावों और इसे रोकने के कानूनी व नैतिक उपायों पर चर्चा करें।

फेक न्यूज और दुष्प्रचार (Misinformation) आज के डिजिटल युग की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक हैं। विशेष रूप से 'इन्फोडेमिक'—यानी किसी विषय पर अत्यधिक जानकारी (जिसमें सही और गलत दोनों शामिल हों) का तेजी से फैलना—ने समाज में भ्रम और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है।

इसके प्रभाव और इसे रोकने के उपायों पर विस्तृत विवरणी इस प्रकार है:

1. समाज पर पड़ने वाले प्रभाव (Social Impact): फेक न्यूज केवल एक झूठ नहीं है, बल्कि यह समाज की संरचना पर गहरा प्रहार करता है:

\* सामाजिक अशांति और हिंसा: गलत सूचनाओं के कारण भारत में मॉब लिंगिंग (जैसे बच्चा चोरी की अफवाहें) और सांप्रदायिक दंगों की घटनाएं देखी गई हैं।

\* लोकतंत्र को खतरा: चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रोपेगेंडा और 'डीपफेक्स' (Deepfakes) का उपयोग किया जाता है, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है।

\* सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संकट: 'इन्फोडेमिक' का सबसे बुरा रूप कोविड-19 के दौरान दिखा, जब वैक्सीन और इलाज के बारे में फैली अफवाहों ने लोगों की जान जोखिम में डाली।

\* संस्थानों पर से भरोसा उठना: जब हर जानकारी संदिग्ध लगने लगती है, तो लोग मुख्यधारा के मीडिया, न्यायपालिका और सरकार पर भी भरोसा करना कम कर देते हैं।

2. रोकने के कानूनी उपाय (Legal Measures):  
भारत में फेक न्यूज से निपटने के लिए कोई एक विशेष कानून नहीं है, लेकिन विभिन्न अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जाती है:

\* आईटी (संशोधन) नियम, 2026: हालिया नियमों के अनुसार, सरकार ने 'सिंथेटिक मीडिया' (AI द्वारा निर्मित सामग्री) के लिए सख्त नियम बनाए हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अवैध घोषित सामग्री को 3 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य है।

\* भारतीय न्याय संहिता (BNS): नई कानूनी व्यवस्था के तहत, ऐसी भ्रामक जानकारी फैलाना जो देश की संप्रभुता या सुरक्षा को खतरे में डाले, एक दंडनीय अपराध है।

\* आईटी एक्ट की धारा 69A: यह सरकार को जनहित या राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर आपत्तिजनक सामग्री या अकाउंट्स को ब्लॉक करने का अधिकार देती है।

\* तथ्य जाँच इकाई (Fact Check Unit): सरकार ने PIB (प्रेस सूचना ब्यूरो) के तहत एक यूनिट बनाई है जो सरकारी योजनाओं से संबंधित खबरों की पुष्टि करती है।

### 3. नैतिक और व्यक्तिगत उपाय (Ethical Measures):

कानून केवल डर पैदा कर सकता है, लेकिन समाधान समाज की नैतिकता और जागरूकता में निहित है:

- \* डिजिटल साक्षरता (Digital Literacy): लोगों को "आगे भेजने" (Forward) से पहले खबर की सत्यता जाँचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

- \* स्रोतों का सत्यापन: किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसके मूल स्रोत और लेखक की जाँच करें।

- \* सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी: कंपनियों को एल्गोरिदम में सुधार करना चाहिए ताकि भड़कावू और फर्जी खबरें 'ट्रेंड' न करें।

- \* सामुदायिक पहल: स्थानीय स्तर पर 'कम्युनिटी नोट्स' जैसे प्रोग्राम होने चाहिए जहाँ लोग मिलकर गलत सूचना को चिन्हित कर सकें।

निष्कर्ष:

फेक न्यूज से लड़ना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। यह तकनीक, कानून और नागरिक जागरूकता का एक सामूहिक प्रयास है। जैसा कि हम 2026 के डिजिटल युग में हैं, "चेक करने से पहले शेयर न करें" का सिद्धांत ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है।